FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0145 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/06/2025 16:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 07/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 07/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/06/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/06/2025 16:43:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALY MUKHY CHIKITSA AVM SWASTHYA ADHIKARI, SAWAI MADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): RAHUL KUMAR GUPATA
   (b) Father's Name (पिता का नाम): BHAGWAN SAHAY GUPATA
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1989 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAILA DEVI, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAILA DEVI, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHUPENDRA VIHARI SHARMA		पिता:RAMSWROOP SHARMA	1. INDRA COLONY,KARAULI,RAJASTHAN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर विषयः- विभागीय जॉच को निस्तारित करने के लिए रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं डा. राहुल कुमार गुप्ता पुत्र भगवान सहाय जाति गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी कैला देवी जिला करोली का रहने वाला हूॅं तथा वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर सीएचसी खण्डार कार्यरत हूॅं। किसी प्रसुता के घर पर गिर जाने के कारण अधिक खून बह जाने से वह मेरे संस्थान पर लाई गई थी। जिसका मैरे व मेरे स्टाफ द्वारा लेबर रूम में दिनांक 02.04.2025 जरूरी चैकअप करते हुये एवं प्राथमिक उपचार करने के पश्चात जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रैफर किया गया, जहां पर प्रसुता का प्रसव उपरान्त बच्चा मृत पैदा हुआ। इस मामले को उस प्रसुता के परिजनों ने मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर एवं जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने पर मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विभागीया जॉच प्रारम्भ की गई। जिसमें खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके उपरान्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रसुन मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी जॉच के लिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार कार्यालय में आकर मेरे व मेरे स्टाफ के बयान दर्ज कर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के उपरान्त श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा ने मेरे खिलाफ चल रही विभागीय जांच को निस्तारित करने के लिये 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। मैं भूपेन्द्र विहारी शर्मा को रिश्वत राशि लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता हूं। मेरा श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा से कोई दुष्मनी नही है और ना ही रुपये पैसे का कोई लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- राहुल कुमार गुप्ता मो. नं. [redacted] दिनांक 07.06.2025 हस्ता. ज्ञान सिंह चैधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी करौली दिनांक 07.06.2025, ह. स्वतंत्र गवाह श्री भरतलाल गुर्जर, श्री विजय राज बैरवा दिनांक 07.06.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर-1064 पर शिकायतकर्ता राहुल कुमार गुप्ता पुत्र भगवान सहाय जाति गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी कैला देवी जिला करोली, हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ सीएचसी खण्डार ने ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क उपरान्त आज दिनांक 07.06.2025 को 09.15 ए.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चौकी सवाई माधोपुर पर मेरे सामने हाजिर होकर उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर को पेश की। परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होकर हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ सीएचसी खण्डार पर पदस्थापित होना बताकर तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही-सही होना बताते हुये बताया कि- मैं डा. राहुल कुमार गुप्ता पुत्र भगवान सहाय जाति गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी कैला देवी जिला करोली का रहने वाला हूॅं तथा वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर सीएचसी खण्डार कार्यरत हूॅं। किसी प्रसुता के घर पर गिर जाने के कारण अधिक खून बह जाने से वह मेरे संस्थान पर लाई गई थी। जिसका मैरे व मेरे स्टाफ द्वारा लेबर रूम में दिनांक 02.04.2025 को जरूरी चैकअप करते हुये एवं प्राथमिक उपचार करने के पश्चात जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रैफर किया गया, जहां पर प्रसुता का प्रसव उपरान्त बच्चा मृत पैदा हुआ। इस मामले को उस प्रसुता के परिजनों ने मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर एवं जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने पर मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विभागीया जॉच प्रारम्भ की गई। जिसमें खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके उपरान्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रसुन मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी जॉच के लिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार कार्यालय में आकर मेरे व मेरे स्टाफ के बयान दर्ज कर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के उपरान्त श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा ने मेरे खिलाफ चल रही विभागीय जांच को निस्तारित करने के लिये 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं भूपेन्द्र विहारी शर्मा को रिश्वत राशि लेने के जुर्म में पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा से कोई दुश्मनी नही है और ना ही रुपये पैसे का कोई लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा अनुसार रिश्वत मांगे जाने पर करा

रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाता है, जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होने से सत्यापन हेतु समय 10.00 ए.एम पर परिवादी को कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं संदिग्ध आरोपी भूपेन्द्र विहारी के पास जाकर रिश्वत राशि की बात करूंगा तो वह मेरे रिश्वत राशि की बात कर लेगा। इस पर श्री मनोज कुमार कानि 133 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी राहुल कुमार गुप्ता से आपस में परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही से अवगत कराकर कार्यालय में से श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री राजवीर सिंह कानि 149 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री मनोज कुमार कानि. 133 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया RGT माईक्रो एसडी कार्ड 8 जीबी डालकर खाली होना सुनिश्चत कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चत कर परिवादी राहुल कुमार गुप्ता एवं श्री मनोज कुमार कानि. 133 को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर श्री भोलाराम कानि. 281 व श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर श्री मनोज कुमार हिदायत दी गई कि परिवादी के संदिग्ध आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा परिवादी को भी हिदायत की गई की वाईस रिकॉर्डर प्राप्त करते समय अपना परिचय एवं दिनांक बोलकर वाइर्स रिकॉर्डर प्राप्त करें। मनोज कुमार कानि. को भी हिदायत दी गई की परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। इसके बाद समय 10.15 एएम पर परिवादी श्री राहुल गुप्ता एवं श्री मनोज कुमार कानि 133 को परिवादी की निजी वाहन से से संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.45 ए.एम पर जरिये दूरभाष पाबन्द शुदा गवाह श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक, श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक पर उपस्थित कार्यालय आये है जिनसे नाम पते पूछे तो उन्होने अपने अपने नाम पते क्रमशः- भरतलाल गुर्जर पुत्र श्री कन्हैया लाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 वर्ष निवासी गांव हमीरपुरा पोस्ट आमली तहसील उनियारा जिला टोंक हाल छात्रावास अधीक्षक राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति जन जाति छात्रावास फलोदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर मो.नं. [redacted] व विजय राज बैरवा पुत्र श्री बाबूलाल बैरवा उम्र 27 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम जोडी पोस्ट गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली हाल छात्रावास अधीक्षक राजकीय देवनारायण बालक छात्रावास निमली रोड सवाई माधोपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर मो. नं. [redacted] होना बताया। जिनको कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 11.15 ए.एम पर श्री मनोज कुमार कानि. 133 व परिवादी राहुल कुमार गुप्ता उपस्थित कार्यालय आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पूछने पर परिवादी ने बताया मै और मनोज कानि. कार्यालय से मेरे निजी वाहन कार से रवाना होकर आलनपुर सर्किल सवाई माधोपुर के पास पहुंचा, जहां पर मनोज कुमार कानि. ने मुझे मेरे निजी वाहन में ही वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड डले सहित अपना परिचय बोलकर मुझे दिया तथा मेंने अपना परिचय बोलकर वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर चालू हालत में लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां पर श्री मनोज कुमार कानि. को अपने निजी वाहन से रोड के एक साईड उतारकर मैने अपने निजी वाहन को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के एक साईड में खडी कर रवाना होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के प्रथम फ्लोर पहुंचा, जहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष के पास ही श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा मिल गये। मैने उनको नमस्कार किया, भूपेन्द्र जी नमस्कार कर सीएमएचओ साहब के कक्ष में अन्दर चले गये। मै उनके कार्यालय कक्ष में बैठ गया। इसके कुछ समय बाद वो अपने कार्यालय कक्ष में आ गये। वहां पर मैने श्री भूपेन्द्र जी से मेरे विरूद्व चल विभागीय जांच के बारे में बातचीत की तो उन्होने कहा की यही से करवा देंगे और कहा की रिपोर्ट बन जायेगी। कितने लाये हो। मैंने कहा कि अभी तो हास्पिटल से आया हूँ, बच्चे के बोतल चढ रही है, वही से आया हूँ। पांच हजार रूपये है। उन्होने कहा रखो यार मैंने कहा कि नही दे जाउगां ना सर पैसे। फिर मैने कहा कि आप टोटल बता दो तो फिर उन्होने कहा की पहले बताये तो थे पच्चीस मैने कहा कि पच्चीस हजार ले आउंगा। इस पर भूपेन्द्र जी ने कहा ले आना, कब लाओगे मैने कहा एक घण्टे में ले आउंगा। इसके बाद मैं उनसे अन्य बातचीत करके उक्त वार्ता को वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से बाहर आकर उक्त कार्यालय के एक साईड मेरी निजी वाहन के पास खडे मनोज जी को अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर दे दिया था, जो चालू हालत में था जिसे मनोज जी लेकर बन्द कर अपने पास रख सुरक्षित रख लिया। फिर हम दोनो वहां से मेरी निजी कार से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। मैने रास्ते में मनोज जी को भूपेन्द्र विहारी शर्मा से हुई वार्ता के बारे में बता दिया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कानि. से पूछने पर कानि. ने परिवादी द्वारा बतायी गयी वार्ता को सही होना बताया। इस पर श्री मनोज कुमार कानि. से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर

गवाह श्री भोलाराम कानि. व श्री राजवीर सिंह कानि. 149 के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप तोसीबा की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशो को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा द्वारा परिवादी से उसके विरूद्व चल रही विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करने के लिये 25,000/- रूपये रिष्वत राषि की मांग करना एवं रिष्वत राषि आज ही लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर बुलाया जाना स्पष्ट पाया गया है। इसके पश्चात कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक, श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी राहुल कुमार गुप्ता से आपस में परिचय करवाया गया और परिवादी द्वारा पेष लिखित रिपोर्ट दिनांक 07.06.2025 को दिखाया एवं पढवाया गया तो गवाहान ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किये व दिनांक अंकित की गई, तत्पष्चात दोनो गवाहों से उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गई जो दोनो ने स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी। इसके बाद पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित को सरकारी लेपटोप तोसीबा की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशो को स्पीकर की मदद से परिवादी व गवाहान को सुनाया गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक, श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी राहुल कुमार कनिष्ठ विशेषज्ञ सीएचसी खण्डार को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के नोटो की 50 नोट कुल राशि 25,000/-रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के) निकालकर पेश किये, जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामकेश कानि 98 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर कार्यालय की अलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर उक्त कानि. से एक साफ अखबार टेबिल पर बिछवाकर उस अखवार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भली-भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री भरतलाल गुर्जर से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास बदन पर पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन, कार की चाबी के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री रामकेश कानि 98 से फिनोफ्थलीन पाऊंडर लगे भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटों की गडडीनुमा परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब मे रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और संदिग्ध आरोपी के मांगने पर ही पाउडर युक्त राशि उसे देवे तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा उक्त रिश्वती नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और रिश्वत में उक्त राशि को देने से पहले या बाद में संदिग्ध आरोपी से हाथ नहीं मिलावे, तथा अभिवादन की जरूरत पडे तो दूर से हाथ जोडकर करे तथा कोई बहाना बनाकर बाहर आकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मोबाईल फोन से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या मनोज कुमार कानि. 133 को मिसकॉल देकर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व संदिग्ध आरोपी के बीच में होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री विजय राज बैरवा से कार्यालय में रखे पानी के केम्पर में से पानी मंगवाकर एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर और श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से कार्यालय आलमारी में से ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर गवाह श्री विजय राज बैरवा से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त पारदर्षी डिस्पोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद ही रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले कानि. श्री रामकेश कानि 98 के हाथों की अंगुलियों व अंगुठें को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतत्र गवाहो को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर श्री रामकेश कानि 98 से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बोक्स में श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी के मार्फत उसके हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि. 98 से गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया जाकर उक्त डिस्पोजल गिलास को एवं काम में लिये गये अखवार को आग से जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन, प्लास्टिक के पारदर्षी डिस्पोजल गिलासों, चम्मच आदि को श्री मनोज कुमार कानि. कार्यवाहक

मालखाना प्रभारी से साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर वापस ट्रेप बोक्स में रखवाया गया, तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मोमबत्ती, सुई धागा, नमूना सील एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों/डीवीडी सहित रखवाये गये । इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो स्वतंत्र गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिष्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये वाईस रिकार्डर में त्ळज् माईक्रो एसडी कार्ड 8 जीबी लगाकर तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड आदि नहीं होना सुनिष्चित कर चालू व बंद करना समझाकर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गय इसके बाद समय करीब 12.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये ईशारे से अवगत कराया जाकर एवं सभी स्टाफ की जामा तलाशी लिवाई जाने के बाद श्री राजवीर सिंह कानि. 149 मय सरकारी मोबाईल व श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को हम्मीर सिंह निजी स्कूटी से रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री भोलाराम कानि. 281 को स्वंय की निजी मोटरसाईकिल से संदिग्ध आरोपी के पदस्थापन स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया। चूंकि आरोपी का पदस्थापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर होने से एवं उस स्थान पर पुलिस थाना व अन्य सरकारी विभाग होने से कार्यवाही की भनक नही लगने के कारण सरकारी वाहन का उपयोग नही किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन में ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर रखवाकर श्री मनोज कुमार कानि. चालक को हिदायत दी गई की जब भी आपको कार्यवाही होने की जानकारी प्राप्त हो जाये, आप तुरन्त ही सरकारी वाहन को लेकर कार्यवाही वाले स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर पर पहुंचने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री राहुल कुमार गुप्ता मय श्री मनोज कुमार कानि. 133 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक, श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक के परिवादी की स्वयं की निजी कार नम्बर आरजे 25 बीएच 6215 F से वाहन का चालक स्वयं परिवादी बनकर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के लिये रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि. 98 को बाद हिदायत कार्यालय में छोडा गया। इसके बाद समय 01.05 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा जरिये परिवादी के निजी वाहन से पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर के पास पहुंच कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हमराह आये हुये कानि. मनोज कुमार से परिवादी राहुल कुमार गुप्ता को सुपुर्द शुदा वाईस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा के पदस्थापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर पर आरोपी के पास रिश्वत राशि देने हेतु स्वंय की निजी कार से रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान मय मनोज कुमार कानि. 133 के परिवादी के निजी वाहन से उतरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के सामने पहुंचा। जहां पर पूर्व से ही रवानाशुदा कार्यालय स्टाफ उपस्थित मिला, जिन्हे मुनासिफ हिदायत कर प्राईवेट स्कूटी व मोटरसाईकिलों को एक साईड में खडा करवाया गया। परिवादी राहुल कुमार गुप्ता कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर में अन्दर प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त स्टाफ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के सामने अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय 01.52 पी.एम पर पर दोनो गवाहान के सामने परिवादी राहुल कुमार गुप्ता ने कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के प्रथम प्लोर पर आकर खडे होकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी श्री राहुल कुमार गुप्ता के पास कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के प्रथम प्लोर पर पहुंचा। जहां पर परिवादी मौजूद मिला। जहां पर परिवादी राहुल कुमार गुप्ता ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा ने अभी थोडी देर पहले मेरे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पास बने कक्ष जो भूपेन्द्र विहारी जी उसी कक्ष में बैठते है, वहां पर उन्होने मेरे से रिश्वत के 25,000/- रूपये लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने बांयी तरफ की जैब में रख लिये। मैं उनके कार्यालय कक्ष से बाहर आकर आप को और आपकी टीम को रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया। श्री भूपेन्द्र विहारी जी अपने कक्ष से उठकर सीएमएचओ साहब के कक्ष में चले गये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहन व स्टाफ सदस्यों को हमराह परिवादी के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के प्रथम प्लोर जहां से परिवादी ने रिश्वत स्वीकृति का ईशारा किया था, वहां से रवाना होकर कार्यवाही की सरकारी मोबाईल फोन से श्री राजवीर सिंह कानि. 149 को विडियोग्राफी करने की हिदायत देते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कक्ष

में पहुंचा। जहां पर उक्त कक्ष में तीन व्यक्ति बैठे हुये थे। जिनमें से परिवादी ने एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही भूपेन्द्र विहारी जी है, जिन्होने मेरे से उनके कक्ष में रिश्वत राशि 25,000/- रूपये लिये थे। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी भूपेन्द्र विहारी संस्थापन अधिकारी से परिवादी श्री राहुल कुमार गुप्ता से परिवादी राहुल कुमार गुप्ता से अपने कार्यालय पर बुलाकर प्राप्त की गई 25,000/- रूपये की रिष्वत राषि के बारे में पूछा गया तो आरोपी भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी ने बताया कि-- राहुल कुमार गुप्ता हमारे कैला देवी करौली के पास का ही रहने वाला है। राहुल कुमार ने मेरे से चार-साढे चार महिने पहिले उधार पैसे लिये थे। मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नही ली है। आरोपी को उधारी के पैसे परिवादी को दिये जाने के संबंध में कोई लिखा पढी बाबत पूछा तो आरोपी ने मना कर दिया। इसके बाद उपस्थित परिवादी राहुल कुमार गुप्ता से आरोपी भूपेन्द्र विहारी शर्मा द्वारा अपने बचाव में बताये गये कथनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने भूपेन्द्र विहारी के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि- में कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर सीएचसी खण्डार कार्यरत हूँ। किसी प्रसुता के घर पर गिर जाने के कारण अधिक खून बह जाने से वह मेरे संस्थान पर लाई गई थी। जिसका मैरे व मेरे स्टाफ द्वारा लेबर रूम में दिनांक 02.04.2025 को जरूरी चैकअप करते हुये एवं प्राथमिक उपचार करने के पश्चात जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रैफर किया गया, जहां पर प्रसुता का प्रसव उपरान्त बच्चा मृत पैदा हुआ। इस मामले को उस प्रसुता के परिजनों ने मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर एवं जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने पर मेरे खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विभागीया जॉच प्रारम्भ की गई। जिसमें खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसके उपरान्त कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रसुन मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी जॉच के लिये खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार कार्यालय में आकर मेरे व मेरे स्टाफ के बयान दर्ज कर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के उपरान्त श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा ने मेरे खिलाफ चल रही विभागीय जांच को निस्तारित करने के लिये 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी तो मैने इनकी आपके विभाग में शिकायत कर दी। जिस पर आज दिनांक 07.06.2025 को मैं आपके कार्यालय आया था। आपने मनोज कानि. को मेरे साथ भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था। जिस पर आज ही इन्होने मेरे रिश्वत राशि लेने की कहा था। जिस पर मैं इनको रिश्वत राशि के 25,000/- रूपये देने के लिये इनके कार्यालय में आया था। जहां पर इन्होने इनके कक्ष में मेरे से 25,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट में रख लिये थे। इसके बाद मै इनके कार्यालय कक्ष में बाहर आकर उपर से ही आप और आपकी टीम मुझे दिख रही थी, को रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया। इसके बाद परिवादी द्वारा बताये गये कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः आरोपी से पूछा गया तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई और बताया की इनकी जांच पूर्ण कर कल दिनांक 06.06.2025 को निदेशक (आरसीएच) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर की मेल आई.डी पर मेल कर दिया था। इसके बाद आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी को परिवादी राहुल कुमार गुप्ता से रिष्वत राषि के बारे में पूछा तो अपनी पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की जैब में होना बताया। जिनको गवाह श्री भरतलाल गुर्जर से आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जैब में से 500-500 रूपये के नोट मुडी हुई अवस्था में गडडीनुमा मिले। उक्त नोटो को दोनो गवाहान से चैक करवाया एवं गिनवाया गया तो प्रत्येक 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राषि 25,000/- मिले, उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान गवाहान से कार्यालय में बनाई हुई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो वही हूबहू नम्बरी नोट मिले। जिन्हें गवाह श्री भरत लाल गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पष्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व से पावन्दशुदा श्री मनोज कुमार कानि. चालक मय ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन के उपस्थित आया। श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 व श्री मनोज कुमार कानि. चालक से सरकारी वाहन में से ट्रेप बौक्स व लेपटॉप प्रिन्टर मंगवाया गया और स्वतंत्र गवाह श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक से ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाकर उनमें स्वतंत्र गवाह विजय राज बैरवा से कार्यालय कक्ष में रखी पानी से भरी बोतल में से साफ पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही ट्रेप बौक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा- थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनो पारदर्शी गिलासों के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो पारदर्शी प्लास्टिक गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितगणों को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी भूपेन्द्र विहारी संस्थापन अधिकारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- आर एच-1, आर एच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी भूपेन्द्र विहारी संस्थापन

अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल एच-1, एल एच-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद कार्यालय कक्ष में उपस्थित श्री अनिल जैमिनी पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 42 वर्ष निवासी गंगापुर सिटी हाल सीएमएचओ सवाई माधोपुर से परिवादी डा. राहुल कुमार गुप्ता की विभागीय जांच के बारे में पूछताछ की तो बताया कि मेरे पास दिनांक 09.04.2025 को श्रीमान कलक्टर महोदय के यहां से एक परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि खण्डार सीएचसी केन्द्र में ऑन ड्यूटी कार्यरत संबंधित स्टाफ द्वारा की गई लापरवाही से प्रसुता के जीवन जोखिम के खतरे की शिकायत प्राप्त हुई एवं दूसरा परिवाद मुझे श्रीमान निदेशक महोदय आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर से दिनांक 22.04.2025 को उक्त आशय का परिवाद प्राप्त होने पर मैने उक्त जांच खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार द्वारा दिनांक 08.05.2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 21.05.2025 को मूलही जांच रिपोर्ट निदेशक आरसीएच को प्रस्तुत कर दी थी। इस पर परियोजना निदेशक महोदय द्वारा मुझसे जरिये दूरभाष वार्ता कर कहा था कि जांच रिपोर्ट पूर्ण नही है। इस बाबत मैने दिनांक 04.06.2025 को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार की अध्यक्षता में श्री प्रसुन मिश्रा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी को मैने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि आप उक्त जांच में सहयोग करे। जिसके परिपेक्ष में उक्त जांच कमेटी के सदस्यो डा. कुलदीप मीणा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार, श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी, श्री प्रसुन कुमार मिश्रा सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2025 को प्रकरण की जांच की गई। दिनांक 06.06.2025 को उक्त जांच रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई। मूल ही जांच रिपोर्ट दिनांक 06.06.2025 को निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को भिजवा दी गई थी। जो निदेशालय स्तर पर वर्तमान में लम्बित है। डा. श्री राहूल कुमार गुप्ता जी मेरे से कल दिनांक 06.06.2025 और आज दिनांक 07.06.2025 को मिले थे, मैने राहुल जी से कहा कि महिला को किसी तरह की गलत फहमी शिकायत के सम्बन्ध में थी, तो उसको दूर करते और कहा कि कहते की डाक्टर का काम तो मरीजो को बचाना है। श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी अभी थोडी देर पहले मेरे कार्यालय कक्ष में आकर बैठे थे एवं एक और व्यक्ति जिसने अपना नाम सुधीन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर सहाय शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 49 वर्ष निवासी कृष्णा नगर भरतपुर हाल जिला कार्यक्रम प्रवन्धक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सवाई माधोपुर होना बताया एवं पूछने पर बताया कि मुझे सीएमएचओ साहब ने लेब रिपोर्ट तैयार करने के लिये बुलाया था। तत्पष्चात गवाह श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक के पास पूर्व में आरोपी की पहनी हुई शर्ट की बांयी तरफ की जैब से बरामद शुदा नम्बरी 25,000/- रूपये के 500-500 रू. के 50 नोटो को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण अंकित कर लिफाफे को चिपका कर लिफाफे पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर करवाकर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री विजय राज बैरवा के दोनो हाथ कार्यालय कक्ष के बाहर सावुन व साफ पानी से साफ कराकर उक्त गवाह से पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर कार्यालय कक्ष में रखी पानी की बोतल मे से साफ पानी भरवाकर उसमें उक्त गवाह से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी की पहनी हुई शर्ट को ससम्मान उतरवाई गई एवं नई शर्ट मंगवाकर पहनायी गई एवं आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जैब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी साम्बन्धितों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा डलवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एस-1 व एस-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जैब को सुखवाकर उक्त धुलाई किये हुये स्थान पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शर्ट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क एस अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी फर्द पृथक से तैयार की गई। इसके बाद आरोपी भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री अनिल जैमिनी को परिवादी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा के विरूद्व चल रही विभागीय जांच की पत्रावली के बारे में पूछा तो कार्यालय मे ही होना बताया। जो पृथक से बरामद कर जप्त की गई। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी

रंजिष या दुष्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, तो परिवादी ने मना कर दिया एवं आरोपी द्वारा अपने पूर्व के कथन अनुसार परिवादी पर उधारी का लेन-देन होना जो आज देना बताया। जिसके बारे में परिवादी ने पूछने पर आरोपी के कथनों को उसके सामने ही झूठा बताया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की श्री राजवीर सिंह कानि. 149 से सरकारी मोबाईल फोन से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव/डीवीडी तैयार करवाई गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब कर नमूना सील फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद समय 04.40 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री राहुल कुमार गुप्ता एवं आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी की उपस्थिति में परिवादी राहुल कुमार गुप्ता के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही की मूल पत्रावली श्री अनिल जैमिनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पेश की जिसका अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली गुलाबी कलर के कवर में लगी हुई है, जिसके उपर नीतु महावर जांच रिपोर्ट सीएमएचओ ऑफिस सवाई माधोपुर 2025 लिखा है। उक्त पत्रावली पर पृष्ठ 01 लगायत 41 तक लाकर पेश की। मूल पत्रावली परिवादी के पैडिंग कार्य से सम्बन्धित होने चूंकि उक्त पत्रावली को कार्यवाही में जप्त करने पर परिवादी का कार्य वाधित होने की सम्भावना होने से मूल पत्रावली की फोटोप्रति करवाई गई। फोटो प्रति पत्रावली को डा. श्री अनिल जैमिनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्रमाणित करवाई जाकर मूल पत्रावली डा. श्री अनिल जैमिनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सुपुर्द कर पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रतियों पर प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वास्ते बजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 05.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी राहुल कुमार गुप्ता की निषादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोषनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया, तथा आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी का सेवा विवरण उपलब्ध बाबत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को पृथक से पत्र जारी कर प्रस्तुत किया गया। इसके बाद समय 05.30 पी.एम पर आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित श्री अनिल जैमिनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को दी गई तथा आरोपी के परिजनों को सूचना पृथक से दी गई। इसके बाद 06.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि. 02, श्री राजवीर सिंह कानि. 149 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मनोज कुमार कानि. चालक के वास्ते स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु जिला चिकित्सालय सवाई माधोपुर रवाना किया जो बाद स्वास्थ्य परिक्षण करवाकर समय 06.20 पीएम उपस्थित आये। इसके बाद 06.30 पी.एम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डा. श्री अनिल जैमिनी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से उनके कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर जिसमें दिनांक 06.06.2025 व दिनांक 07.06.2025 की कर्मचारीयों की उपस्थिति/अनुपस्थिति संबंधित का इन्द्राज हो, उक्त हाजरी रजिस्टर के उक्त पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी दिनांक 06.06.2025 व दिनांक 07.06.2025 को कार्यालय में उपिस्थत होना पाया गया। उक्त रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रति को शामिल पत्रावली कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी के व जप्त शुदा समस्त बजह सबूत को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी मोबाईल, विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्ड एसडी कार्ड डले सहित आदि के जरिये सरकारी/निजी वाहनों एवं प्राईवेट मोटरसाईकिलों के घटना स्थल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से रवाना एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर होकर समय 07.00 पी.एम पर ब्यूरो चैकी सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वत राशि धोवन की सील्ड शीशीयों, शर्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी मनोज कुमार कानि. 133 करवाया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में सुरिक्षत रखा गया। इसके बाद समय 07.15 पी.एम पर परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 07.06.2025 की परिवादी एवं आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के मध्य रूबरू हुई रिष्वत मांग की वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान श्री भरतलाल गुर्जर छात्रावास अधीक्षक, श्री विजय राज बैरवा छात्रावास अधीक्षक के सामने एवं परिवादी श्री राहुल कुमार गुप्ता की मौजुदगी में लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर दिनांक 07.06.2025 की रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री

मनोज कुमार कानि. 133 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईवं सैंडिस्क 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क ए-1 एवं दो डीबीडी नयी एचपी डीवीडी-आर मुलजिम प्रति मार्क ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 में डब करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क ए-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क ए-1 एवं डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया, एवं आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर एवं डब पैनड्राईव की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 09.40 पी.एम पर कार्यालय स्टाफ की सहायता से सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना मानटाउन में बन्द हवालात करवाया गया। इसके बाद समय 10.30 पी.एम पर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें आज दिनांक 07.06.2025 की परिवादी एवं श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के मध्य रूबरू हुई रिष्वत लेन-देन की रिकार्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में लेपटॉप से चलाकर कर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबल स्पीकर से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री मनोज कुमार कानि. 133 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त रिकार्ड वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक नया खाली पैनड्राईव सैंडिस्क 16 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं दो डीबीडी नयी एचपी डीवीडी-आर मुलजिम प्रति मार्क बी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी-3 में डब करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर अलग अलग कवरों में रखवाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं डीवीडी मुलजिम प्रति मार्क बी-2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति डीवीडी मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। दिनांक 07.06.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन रिकार्ड वार्ता का मूल एसडी कार्ड RGT माईक्रो एसडी कार्ड 8 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क एसडी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं डब पैनड्राईव की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 08.06.2025 को समय 01.30 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये राजवीर सिंह कानि. 149 सरकारी मोबाईल में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को एक नया खाली पैनड्राईव सेनडिस्क 16 जीबी एवं दो डीबीडी नयी एचपी डीवीडी-आर मुलजिम प्रति मार्क डी-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क डी-3 में में जरिये कानि0 राजवीर सिंह 149 से डब करवाई जाकर मार्क डी-1 व डी-2 एवं डी-3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क-डी-1 व मुल्जिम प्रति डीवीडी डी-2 पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय प्रति व मुल्जिम प्रति को कवरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी आई प्रति मार्क-डी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 02.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड रिकार्ड वार्ताओं के सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2, बी-1, बी-2 एवं मूल एसडी कार्ड मार्क एसडी एवं बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क डी-1 व मुल्जिम प्रति डीवीडी मार्क डी-2 को एचएम मालखाना श्री मनोज कुमार कानि. 133 को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद समय 03.00 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादीएवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी राहुल कुमार गुप्ता पुत्र भगवान सहाय जाति गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी कैला देवी जिला करोली, हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ सीएचसी खण्डार से उसके विरूद्व नीतु महावर द्वारा दर्ज शिकायत पर चल रही विभागीय जांच में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार की अध्यक्षता में श्री प्रसुन

मिश्रा सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी को नियुक्त करने पर श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा संस्थापन अधिकारी ने परिवादी से उसके विरूद्व चल रही विभागीय जांच को निस्तारित करने के लिये 25,000/- रूपये की मांग की गई थी। जिस पर परिवादी द्वारा शिकायत देने पर दिनांक 07.06.2025 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन से रिश्वत मांग की पृष्ठी होने पर उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी द्वारा परिवादी को अपने कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर पर बुलाकर परिवादी से रिश्वत राशि 25,000/- रूपये प्राप्त करते हुये को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जैब से बरामद की गयी तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया। अतः आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। (ज्ञान सिंह चैधरी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञान सिंह चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 57 वर्ष निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 731 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस- द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 844-47 दिनांक 09.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2.निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस- द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/06/2025 16:48:40

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	30/06/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)